तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/8426/2018/गंगानगर** **जगदीप सिंह बनाम अश्वीन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित

श्री दिनेश कुमार, अभिभाषक प्रार्थीगण।

श्री हरदत्त सहारण, श्री शशिकान्त जोशी अभिभाषकगण अप्रार्थीगण ।

निर्णय

दिनांक 1–11–2021

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–11–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी/वादी संख्या 1 ने प्रार्थी व अन्य अप्रार्थी के विरूद्ध एक दावा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । दावे के दौरान अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी के नाम चक 1 केबी के मु0नं0 5प0नं0 157/14 के किला नंबर 20 से लेकर 24 की 1.013 हेक्टेयर आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 पौत्र है एवं नाबालिग है जिसे विवादित आराजी विरासतन प्राप्त हुई है । अप्रार्थी जगदीप उक्त आराजी को बेचान करना चाहते हैं । यदि ऐसा करने में सफल हो गए तो वाद का औचित्य ही समाप्त हो जायेगा । इसलिए विवादित आराजी अप्रार्थी किसी प्रकार से हस्तातंरण, रहन, बैय नहीं करे । विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–5–2018 द्वारा अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया । उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 9–5–2018 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–11–2018 द्वारा अपील को खारिज कर दिया । प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/8426/2018/गंगानगर** **जगदीप सिंह बनाम अश्वीन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	4— प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमें मीमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । उनका कथन है कि प्रार्थी एक रेकार्डेड खातेदार है एवं विवादित आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है। जिसका मालिक प्रार्थी है प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 2 परविन्द्र सिंह व उसकी पत्नि परमजीत कौर को 12 बीघा तथा छोटे पुत्र हरविन्द्र सिंह के नाम 8 बीघा कर दी । शेष 4 बीघा स्वयं के लिए रखी किन्तु अप्रार्थी सं0 2 के मन में लालच आने से नाबालिग पुत्र अश्वीन द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ 212 अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिसे विचारण न्यायालय एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों यथा प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन, अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित होते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का विवेचन नहीं कर एक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है । अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय निरस्त किए जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाकर हरविन्द्र सिंह पुत्र जगदीप को भी पक्षकार बनाकर सुनवाई की जावे। । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर. बी.जे. 2018 पृष्ठ 499, 503 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 5— अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के अनुरूप है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों तत्वों पर सम्पूर्ण साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से विवेचन कर ही निर्णय पारित किया है, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने विधिसम्मत निर्णय से यथावत रखा है । जिसमें कोई त्रुटि नही है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावे । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में आर.आर.डी 2002 पृष्ठ 744, आर.बी.जे. 2010 पृष्ठ 178, आर.बी.जे. 2012 पृष्ठ 26, आर.बी.जे. 2004 पृष्ठ 606, आर.बी.जे. 2016 पृष्ठ 468, डी.एन.जे. 2013(1) राज0 पृष्ठ 170न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए । 6— हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस का सुनी एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का, न्यायिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/8426/2018/गंगानगर** **जगदीप सिंह बनाम अश्वीन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दृष्टांतों एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 7— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद लम्बित रहने के दौरान अप्रार्थी अश्वीन द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया था अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वर्णित भूमि का बेचान गिरवी या हस्तांतरण विलेख को पंजीकृत नहीं करे । विचारण न्यायालय द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं जमाबंदियों का अवलोकन करने के पश्चात् ही धारा 212 के तीनों तत्वों यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तीनों अप्रार्थी अश्वीन के पक्ष में मानते हुए प्रार्थी जगदीप को ताफैसला मूल वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । जो एक विधिसम्मत आदेश है, क्योंकि जब तक वाद का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक वादग्रस्त आराजी को सरंक्षित रखना न्यायालय का दायित्व है । इस संबंध में आर.बी.जे. (19) 2012 पृष्ठ 26 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि— RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-Section 212, When plaintiffs have prima facie made out a case that the land in question was ancestral property of the joint family and the defendants petitioners failed to show prima facie that a part there of was self acquired .Temporary injunction against alienation of the land in question and order for maintaining status quo until final disposal of the suit rightly passed . इसी प्रकार आर.बी.जे. (23) 2016 पृष्ठ 468 में यह मत अभिनिर्धारित किया है कि— RAJASTHAN TENANCY ACT 1955-Section 212-It is the established basic principal that the property in dispute to be preserved till final decision of the case . उक्त प्रावधानों की को ध्यान में रखकर विचारण न्यायालय द्वारा ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी ने भी विधिसम्मत माना है । उन्होंने अपने निर्णय में यह स्पष्ट अंकित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णनीय क्षति पर बिन्दुवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों के मध्यनजर निर्णय में सहायक प्रतीत नहीं होते है। चूंकि वाद विचारण न्यायालय में लम्बित है । हमारी सुविचारित राय में दोनों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/8426/2018/गंगानगर** **जगदीप सिंह बनाम अश्वीन**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कोई तात्विक त्रुटि या अनियमितता नहीं पाई जाती है जिससे निगरानी के माध्यम से ऐसे विधिसम्मत आदेशों में हस्तक्षेप किया जा सके । दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित है। जिनमे निगरानी के स्तर पर हस्तक्षेप का औचित्य प्रतीत नहीं होता है । अतः निगरानी सारहीन होने से निरस्त योग्य है । 8— उक्त विवेचन के फलस्वरूप यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर) सदस्य	